रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 445] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 16, 1985/भाद्र 25, 1907

No. 445] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 16, 1985/BHADRA 25, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 16 सितम्बर 1985

अधिसूचना

का.आ. 673 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम भारत सरकार कार्य (आबंटन) (एक सौ निन्नानवां संशोधन) नियम 1985 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2 भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में द्वितीय अनुसूची मे :—

(क) शीर्षक "कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय" के अधीन उप-शीर्षक "ग ग्रामीण विकास विभाग" के अधीन,—

(i) प्रविष्टि 9 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9(क) ग्रामीण रोज़गार या बेरोज़गारी से संबंधित सब विषय जैसे, ग्रामीण विकास की नीतियां और कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत विशेष संकर्म, मजदूरी या आय मे वृद्धि भी है, तैयार करना उससे संबंधित प्रशिक्षण;

(ख) ग्रामीण रोजगार के विनिर्दिष्ट कार्यक्रम का क्रियान्वयन, जैसे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा.ग्रा.रो.का.), ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारण्टी कार्यक्रम (ग्रा.भू.रो.गा.का.) और समय-समय पर बनाए गए कार्यक्रम;

(ग) ग्रामीण रोजगार या बेरोजगार से संबधित माइक्रो स्तर आयोजन तथा उसके लिए प्रशासनिक ढांचा ।"।

(ii) प्रविष्टि 12 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"12. लोक सहकार, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण विकास के लिए स्वयंसेवी अभिकरणों और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि से सम्बन्धित सब विषय भी हैं।"।

(ख) शीर्षक "गृह मंत्रालय" के अधीन उप-शीर्षक "क, गृह विभाग" के अधीन, भाग IV—"प्रकीर्ण कार्य" में, प्रविष्टि 104 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"104क. रेलों में अपराधों, रेल सम्पत्ति के भ्रषण से संबंधित अपराधो से भिन्न, से संबंधित संसदीय प्रश्न।"।

(ग) शीर्षक "रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड)" के अधीन, प्रविष्टि 2 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"3. रेल सम्पत्ति के अपहरण से संबंधित अपराधों, सरकारी रेलों और गैर सरकारी रेलों में अपराधों से संबंधित अपराधों से भिन्न, के बाबत संसदीय प्रश्न।" ।

जैल सिंह
राष्ट्रपति

[74/2/1/85-मंत्रि]
एल० आर० के० प्रसाद, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 16th September, 1985

NOTIFICATION

S.O. 673(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and seventythird Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(a) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (KRISHI AUR GRAMIN VIKAS MANTRALAYA)", under the sub-heading "C. DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS VIBHAG)",—

(i) for entry 9, the following shall be substituted namely :—

"9(a) All matters pertaining to rural employment or unemployment such as working out of strategies and programmes for rural employment including special works, wage or income generation and training related thereto;

(b) Implementation of the specific programmes of rural employment such as National Rural Employment Programme (NREP), Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP) and other programmes evolved from time to time;

(c) Micro level planning related to rural employment or unemployment and administrative infrastructure therefor.";

(ii) for entry 12, the following shall be substituted namely :—

"12. Public co-operation, including all matters relating to voluntary agencies for rural development and National Fund for Rural Development."

(b) under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF HOME AFFAIRS (GRIH VIBHAG)", in Part IV—"Miscellaneous Business", after entry 104, the following entry shall be inserted, namely :—

"104A. Parliament Questions relating to crime on railways other than offences relating to pilferage of railway property."

(c) under the heading "MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA) (RAILWAY BOARD)", after entry 2, the following shall be inserted, namely :—

"3. Parliament Questions regarding offences relating to pilferage of railway property other than offences relating to crime on Government railways and non-Governmental railways.".

ZAIL SINGH
PRESIDENT

[F. No.74/2/1/85-Cab.]
L.R.K. PRASAD, Joint. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985